

मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक-एफ-19-11/2020/पी-1/31
प्रति,

भोपाल, दिनांक...../...../2020

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल ।

विषय - "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र बावत्- श्री योगेश चन्द्र शर्मा, से0नि0 अधीक्षण यंत्री ।

—00—

श्री योगेश चन्द्र शर्मा, अधीक्षण यंत्री अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.08.2020 से सेवा निवृत्त हुये ।

2/ विभाग में उपलब्ध जानकारी/अभिलेखों के आधार पर श्री योगेश चन्द्र शर्मा, से0नि0 अधीक्षण यंत्री के विरुद्ध वर्तमान में कोई मांग एवं जांच लंबित नहीं है । श्री योगेश चन्द्र शर्मा, सम्पूर्ण सेवा काल में कभी भी नर्मदा घाटी विकास विभाग में पदस्थ नहीं रहे हैं ।

अतः उपरोक्त जानकारी के आधार पर श्री योगेश चन्द्र शर्मा, से0नि0 अधीक्षण यंत्री के पक्ष में " न मांग न जांच " प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक 24/9/2020

पृ0क्र0-एफ-19-11/2020/पी-1/31
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कठार, जल संसाधन विभाग, इन्दौर म0प्र0 ।
2. संबंधित कोषालय अधिकारी.....
3. संबंधित अधिकारी श्री योगेश चन्द्र शर्मा, से0नि0 अधीक्षण यंत्री (द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।)
4. वेब मैनेजर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु ।
5. स्टाक पंजी ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

जल संसाधन विभाग भोपाल